2022/17

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री कमलकिशोर पुत्र श्री सोहनराज जैन जाति जैन निवासी 28 खोड का वास पाली मारवाड जिला पाली।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 10 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.01.2022	अपीलाट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 01.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.07.1999 को राजस्थान रिलीजियस बिल्डिंगज एक्ट 1954 की धारा 6 के उल्लंघन में बिना जिला दण्डनायक की लिखित स्वीकृति के अनूप मण्डल द्वारा निर्माण की गई झुपडियों की सूची नाने व कार्यवाही के निर्देश समस्त जिला प्रशासन को दिए गए, इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 01.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.07.1999 को राजस्थान रिलीजियस बिल्डिंगज एक्ट 1954 की धारा 6 के उल्लंघन में बिना जिला दण्डनायक की लिखित स्वीकृति के अनूप मण्डल द्वारा निर्माण की गई झुपडियों की सूची नाने व कार्यवाही के निर्देश समस्त जिला प्रशासन को दिए गए, इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया गया कि उपरोक्त सूचना के लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 669 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अत[illegible] खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो[illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2022.01.17 16:59:53 IST Reason: SelfAttested ([illegible] प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner